UPCH120000622010

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।

उपस्थित- एस. आनंद- (उ.प्र. न्यायिक सेवा)

दाण्डिक वाद संख्या- 187/2010

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

बनाम

तीरथ केवट, पुत्र-रामसजीवन, निवासी-बरियारी खुर्द, थाना- मऊ, जनपद-चित्रकूट।

.....अभियुक्त

अपराध संख्या- 1149/2010
धारा- 3/25 आयुध अधिनियम
थाना- मऊ, जनपद- चित्रकूट।

निर्णय

(आज दिनांक 22.04.2026 को घोषित)

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त तीरथ केवट के द्वारा अपराध संख्या- 1149/2010, अंतर्गत धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के प्रकरण में जुर्म संस्वीकृति प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2026 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। केवल गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा पुलिस की मिली भगत से फंसाया गया है। प्रार्थी निहायत गरीब व सदा-कदा मजदूरी कर जीवन यापन करता है। प्रार्थी इसके पूर्व एक बार 8 दिन तथा दुबारा वारंट पर चार दिन जेल में रह चुका है। इस प्रकार कुल 12 दिन जेल में प्रार्थी रह चुका है। प्रार्थी आज स्वेच्छा से उपस्थित होकर अदालत में हाजिर है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। प्रार्थी के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रार्थी के जेल में बिताई गई अवधि पर मुकदमा समाप्त किया जाना आवश्यक है।

2. न्यायालय के आदेश से अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को यह स्पष्ट किया गया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसी संस्वीकृति करता है तो यह उसके विरूद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अभियुक्त उक्त मामले में जुर्म संस्वीकृति करने को तत्पर है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त तीरथ केवट के द्वारा अपराध संख्या- 1149/2010, अंतर्गत धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा जुर्म संस्वीकृति किए जाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Digitally signed by ANAND SAHASRANAM
Date: 2026.04.23 10:59:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

4. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जुर्म संस्वीकृति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को अपराध सं. 1149/2010, अंतर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम के प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है।

5. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त के जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

6. दंड पर सुने जाने के लिए पत्रावली लंचबाद प्रस्तुत हो।

(एस. आनंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
UP 4878

लंचबाद-

7. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। केवल गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा पुलिस की मिली भगत से फंसाया गया है। प्रार्थी निहायत गरीब व सदा-कदा मजदूरी कर जीवन यापन करता है। प्रार्थी इसके पूर्व एक बार 8 दिन तथा दुबारा वारंट पर चार दिन जेल में रह चुका है। इस प्रकार कुल 12 दिन जेल में प्रार्थी रह चुका है। सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दंड पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किए जाने की प्रार्थना की गई।

10. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से अभिकथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के जेल में बिताई गई अवधि पर मुकदमा समाप्त किया जाना आवश्यक है।

11. अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक उक्त अपराध की संस्वीकृति की गई। अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई जुर्म संस्वीकृति उसके भीतर सुधार की परिचायक है। अभियुक्त के द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। केवल गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा पुलिस की मिली भगत से फंसाया गया है। प्रार्थी निहायत गरीब व सदा-कदा मजदूरी कर जीवन यापन करता है। प्रार्थी इसके पूर्व एक बार 8 दिन तथा दुबारा वारंट पर चार दिन जेल में रह चुका है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त तीरथ केवट के विरूद्ध दिनांक 21.12.2012 को आरोप विरचित किया गया। उपरोक्त मामले में अभियुक्त 14 दिन जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी साक्षी को परिक्षित नहीं किया गया है। अतएव यह उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उपरोक्त विशेष परिस्थितियों के आलोक में धारा 25(1-B) (a) आयुध अधिनियम के परंतुक के अधीन निम्नांकित दंड से दंडित किया जाए।

आदेश

12. अभियुक्त तीरथ केवट को दांडिक वाद संख्या- 187/2010, मु. अ. संख्या- 1149/2010, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना- मऊ, जिला चित्रकूट के प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा मु.- 1000 रूपए (एक हजार रूपए मात्र) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(एस. आनंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
UP 4878